संख्याः 13 / 2018 / 352 / 35-1-18-6/8(15)/2017

प्रेषक,

ऋषिकेश दूबे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दीर्घकालीन योजना प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 23 अप्रैल, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375 /दस-2018-231/2018, दिनांकः 30 मार्च, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- ''3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-03-इनोवेशन सेल की स्थापना'' के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत **रू0 28.00 लाख (रूपये अट्ठाइस लाख मात्र)** की धनराशि को नीचे अंकित विवरण में उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	04	यात्रा व्यय	2.00
2	08	कार्यालय व्यय	3.00
3	11	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	3.00
4	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
5	13	टेलीफोन पर व्यय	1.00
6	18	प्रकाशन	5.00
7	19	विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	3.00
8	42	अन्य व्यय	4.00
9	44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एव अन्य प्रासंगेक व्यय	2.00
10	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00
11	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00
		योग-	**28.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(5) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-03-इनोवेशन सेल की स्थापना'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांकः 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव

संख्याः 13 (1)/2018/352(1)/35-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in